तारीख हुक्म	**न्यायालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **दीवानी विविध प्रकरण संख्या :– 112/2020** अनवान **महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम कृष्णा बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक :– 27.02.2026

अधिवक्ता पक्षकारान् उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से कॉस्ट की राशि 1000 रुपए, प्रार्थीगण को नकद दिलाई गई जिसकी रसीद आदेशिका पर ली गई।

दिलखुश व राधा सुमन की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण (दिलखुश व राधा सुमन) मृतक कमला बाई के पुत्र–पुत्री होने के कारण विधिक उत्तराधिकारी हैं एवं इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है। अतः उक्त प्रार्थीगण को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के रूप में पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। नकल प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की।

1000/- रुपये प्राप्त किये
[signature] 1000

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण (दिलखुश व राधा सुमन) को अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के रूप में पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी संशोधित टाईटल पेश करें। आदेश की पालना में संशोधित टाईटल पेश किया गया। नकल अधिवक्ता अप्रार्थीगण को दिलाई गई। संशोधित टाईटल को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से जवाब मूल प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब काउन्टर क्लेम को अवसर चाहा।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब काउन्टर क्लेम प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

[signature]
जिला न्यायाधीश
कोटा (राज.)